कार्यालय प्राचार्य, शासकीय डॉ.वा.वा.पाटणकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
केन्द्रीय विद्यालय के पास, जेलरोड दुर्ग (छ.ग.)
पूर्व नाम–शासकीय कन्या महाविद्यालय,दुर्ग (छ.ग.) फोन 0788–2323773
Email- govtgirlspgcollege@gmail.com Website: www.govtgirlspgcollegedurg.ac.in
College Code : 1602

दुर्ग, दिनांक 01.07.2024

//रिपोर्ट//

शासकीय कन्या महाविद्यालय में कार्यशाला का आयोजन

शासकीय डॉ0 वा0 वा0 पाटणकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग में केन्द्र सरकार के नए न्यायिक अधिनियम–2023 के प्रचार-प्रसार हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया।

महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉ. डी.सी. अग्रवाल ने भारतीय न्याय संहिता–2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रचार-प्रसार हेतु विस्तृत जानकारी प्रदान की।

उन्होनें कहा कि नए कानूनों से एक आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी जिसमें जीरो एफ.आई.आर. पुलिस में ऑनलाईन शिकायत दर्ज कराना एसएमएस के जरिये समन भेजने जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और सभी जघन्य अपराधों के वारदात स्थल की अनिवार्य विडियोग्राफी जैसे प्रावधान के बारे में बताया तथा विभिन्न धाराओं में बदलाव के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी जैसे आईपीसी की धारा 144 के स्थान पर अब धारा 187 होगी, धारा 302 की जगह धारा 101, धारा 307 के स्थान पर धारा 109 के तहत सजा होगी। आईपीसी की धारा 376 के स्थान पर धारा 63 एवं धारा 376 डी को धारा 70 में शामिल किया गया है। धारा 399 के स्थान पर धारा 356 होगा। भारतीय न्याय संहिता में ठगी का अपराध 420 में नहीं अब धारा 316 के तहत आएगा। धारा 124 राजद्रोह से जुड़े मामलों में सजा का प्रावधान रखती थी राजद्रोह को एक नया शब्द देशद्रोह मिला है।

इस प्रकार नये अपराधिक कानून देश भर में लागू हो जाएंगे जिससे भारत की अपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव आएंगे और औपनिवेशिक काल के कानूनों का अंत हो जाएगा। कार्यक्रम का संचालन डॉ. ऋचा ठाकुर ने किया एवं आभार प्रदर्शन डॉ. मुक्ता बाखला ने किया।

इस कार्यशाला में महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक उपस्थित थे।

(डॉ0 डी0 सी0 अग्रवाल)
प्रभारी प्राचार्य
शासकीय डॉ0 वा0 वा0 पाटणकर
कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग(छ.ग.)

शासकीय डॉ0 वा0 वा0 पाटणकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)